अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2019

क्रमांक एफ -10-12/2019/वाक/पांच (31).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -10-12/2019/वाक/पांच (31), दिनांक 07-3-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 7th March 2019

NOTIFICATION
No. 13/2019 - State Tax

No. F-10-12/2019/CT/V (31).— In exercise of the powers conferred by Section 168 of the Chhattisgarh Goods and ServicesTax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommedations of the Council, hereby specifies that the return in Form GSTR-3B of the said rules for each of the months from April, 2019 to June, 2019, shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month.

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per form GSTR-3B .- Every registered person furnishing the return in Form GSTR-38 of the said rules shall, subject to the provisions of Section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the the last date, as specified in the first paragraph, on which he is requird to furnish the said return.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2019

अधिसूचना
संख्या 14/2019 - राज्य कर

क्रमांक एफ-10-12/2019/वाक/पांच (32). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 8/2017-राज्य कर, क्रमांक एफ-10-46/2017/वाक/पांच (90), दिनांक 1 जुलाई, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 274 तारीख 4 जुलाई, 2017 में प्रकाशित किया गया था, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करती है कि ऐसा कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के बदले में, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 7 के अधीन यथा विहित कर की रकम का विकल्प ले सकेगा :

परंतु पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उक्त संकलित आर्वत निम्नलिखित किन्हीं राज्यों में, उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत पात्र व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत की दशा में पचहत्तर लाख रुपए होगा, अर्थात् :-

(i) अरूणाचल प्रदेश,

(ii) मणिपुर,

(iii) मेघालय,